



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-15102026-277161
CG-RJ-E-15102026-277161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5375]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5375]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5589(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोकप्रयोजन के लिए वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य में रामदेवरा और पोरण (13.38 किमी) के बीच भैरवगुफा, कैलाश टेकरी होकर नई रेलवे लाइन का निर्माण की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपन आशय की घोषणा करती है:

उक्त भूमि में हित बद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा:

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, पोरण राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2)के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में रामदेवरा और पोकरण (13.38 किमी) के बीच भैरव गुफा-कैलाश टेकरी होकर नई रेलवे लाइन का निर्माण की विशेष रेल परियोजना हेतु (पोकरण उपखण्ड के लिए) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला- जैसलमेर

अनुसूची							
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में रामदेवरा और पोकरण (13.38 किमी) के बीच भैरव गुफा-कैलाश टेकरी होकर नई रेलवे लाइन का निर्माण स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट हेतु ग्राम विरमदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर में अवास की जाने वाली भूमिका संक्षिप्त विवरण							
जिला : जैसलमेर							
क्र सं	तहसील	ग्राम	सर्वे/खसरासंख्या	भूमि का प्रकार	भूमि कीकिस्म	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवास की जानी वाली भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	पोकरण	विरमदेवरा	6	निजी	बारानी	10.8698	1.1614
2			7	निजी	बारानी	0.0971	0.0971
3			8	निजी	बारानी	13.7755	13.3251
4			9/48	निजी	बारानी	16.0255	2.4014
	कुल योग ग्राम विरमदेवरा						6.9850
	कुल योग पोकरण तहसील						6.9850

[फा. स.उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 12th October, 2026

S.O. 5589(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways(Amendment) Act, 2008(11 of 2008)and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, **Ramdevra- Pokran New Railway line via Bhairav Gufa-kailashTekri (13.380 km)** Project in District **Jaisalmer** the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub Divisional Officer, Pokran, Rajasthan**, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Ramdevra – Pokran New Railway line via Bhairav Gufa-kailash Tekri (13.380 km) Project (For Pokran Sub Division) in the State of Rajasthan.

District - Jaisalmer

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Ramdevra – Pokran New Railway line via Bhairav Gufa-kailashTekri(13.380 km)Project (For Pokran Sub Division) in the State of Rajasthan.							
District -Jaisalmer							
SL. No.	Name of Tehsil	Village	Survey / khasra No.	Type of land	Nature of land	Total area (in Hectare)	Area to be acquired (in Hectare)
1	Pokran	Viramdevra	6	Private	Barani 3	10.8698	1.1614
2			7	Private	Barani 1	0.0971	0.0971
3			8	Private	Barani 1	13.7755	3.3251
4			9/148	Private	Barani 4	16.0255	2.4014
	Total (Viramdevra village)						6.9850
	Total (Pokran Tehsil)						6.9850

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXVI]

Vivek Saxena, Chief Administrative Officer (Construction)